कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :.................................. /2018
दिनांक :..

कार्यालय आदेश

संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अनेक भवनों में कक्षाओं के समाप्ति के पश्चात दिन एवं रात्रि में भी लाइट जलती रहती है जिससे विश्वविद्यालय की विद्युत व्यवस्था पर अनावश्यक भार पड़ता है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी कक्षाओं के समाप्ति के बाद कक्षों का खुला रहना उचित नहीं है।

अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संकाय/विभाग को आवंटित कक्षों में कक्षओं के समाप्ति के पश्चात् लाइट बुझा कर ताले लगाये जायें जिससे कक्षों में लगा फर्नीचर/ट्यूबलाइट/बल्ब/सी0सी0टी0वी0 कैमरा इत्यादि प्रत्येक दशा में सुरक्षित रहे।

उपरोक्त के आलोक में त्रिस्तरीय देखभाल एवं दायित्व निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

1. विभागाध्यक्ष स्तर पर।
2. शिक्षण समयसारिणी (कक्षाएं) समाप्ति पर अधिष्ठाता कार्यालय के स्तर पर।
3. शिक्षण समयसारिणी (कक्षाएं) समाप्त होने के 01 घन्टे पश्चात् कुलानुशासक कार्यालय के स्तर पर।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के अनुपालन में विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता एवं कुलानुशासक के द्वारा व्यक्तिशः दायित्व का निर्धारण सुनिश्चित करते हुए अनुपालन किया जाय एवं कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाये।

(प्रो0 आर0के0 सिंह)
कुलसचिव

संख्या–GA-7087-7256 दिनांक– 26/03/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रति कुलपति, प्रतिकुलपति जी को सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, ल0वि0वि0।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, ल0वि0वि0।
5. समस्त निदेशक/समन्वयक, ल0वि0वि0।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
7. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
8. अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
9. मुख्य अभिरक्षक, ल0वि0वि0।
10. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0वि0।
11. निदेशक, आई0एम0एस0, ल0वि0वि0।
12. इन्चार्ज, अभियान्त्रिकी संकाय, ल0वि0वि0।
13. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
14. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
15. निदेशक, आई0एम0एस0,ल0वि0वि0।
16. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर/सी0एल0एल0 लाईब्रेरी, ल0वि0वि0।
17. समस्त उपकुलसचिव, ल0वि0वि0।
18. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
19. इंचार्ज वेवसाइट को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव